



20

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
प्र0क0 -दो /2016 निगरानी *सिग 9140-II-16*

श्रीमती जनक कुमारी पत्तिल लोकपाल सिंह
जाते लोधी, निवासी ग्राम सिल्लारपुर
तहसील करैरा जिला शिवपुरी, म0प्र0

----आवेदक

विरुद्ध2

- 1- कंचन पुत्र कोमल लोधी
निवासी ग्राम सिल्लारपुर निवासी ग्राम
तहसील करैरा जिला शिवपुरी, म0प्र0
- 2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

---अनावेदक

(राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत
निगरानी - श्रीमान तहसलदार करैरा के फर्जी प्रकरण
कमांक 171/1998-99 अ-19 आदेश दिनांक 28-6-1999 डाल
कर की गई फर्जी खसरा प्रविष्टि के विरुद्ध)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)

यह कि ग्राम सिल्लारपुर तहसील करैरा स्थित भूमि सर्वे
कमांक 379 रकबा 3.37 हैक्टर पूर्व से अभिलेख में शासकीय खदान
दर्ज चली आ रही थी, किन्तु खसरा वर्ष 1991-92 तक शासकीय
अभिलेख में सार्वजनिक उपयोग की खदान के रूप में अंकित भूमि सर्वे
नंबर 379 रकबा 3.37 हैक्टर के खसरे में अनावेदक कमांक -1 के
नाम तहसीलदार करैरा के फर्जी हस्ताक्षरित कर मनगढन्त नंबर प्रकरण
कमांक 171/1998-99 अ-19 आदेश दिनांक 28-6-1999 से
पट्टा होने की प्रविष्टि दर्ज कर दी गई, जबकि तहसील न्यायालय के

R-1
16.8.16

Subit

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2740/II/1.6 जिला ... ग्वालियर ...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>12.1.17</p>	<p>आवेदक अफिमण्डल व जीपी नाथ उपायुक्त अनावेदक स. श्री. अरु-दे व. मुखिया - बलापुत्रक एवं अचर 52 शुभचक्र पं. ल. अफिमण्डल व अफिमण्डल-अनुभव उपायुक्त।</p> <p>आवेदक अफिमण्डल ने बताया कि आवेदक द्वारा परती हिरण्य न होने के प्रकरण समाप्त कर दिया गया। आवेदक अफिमण्डल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण इस तरह पर समाप्त किया जात है। प्रकरण संश्लेषित।</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>पत्रकारों की ओर से पर- हिदायत न होने से समाप्त हेतु निवेदन</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> 12-1-17 आवेदक अफिमण्डल</p>